

समाज कल्याण विभाग
मूक एवं बधिर विद्यालय परिसर,
दिल्ली गेट, नई दिल्ली-02

अतारंकित प्रश्न संख्या:- 20

दिनांक: - 06.06.2018

प्रश्नकर्ता: - श्री सुरेन्द्र सिंह

क्या समाज कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि

	प्रश्न	उत्तर												
(क)	दिल्ली छावनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2014 से 30 अप्रैल 2018 तक वृद्धा तथा विकलांग पेंशन के कितने आवेदन विभाग द्वारा प्राप्त किये गये;	जिला समाज कल्याण अधिकारी (दक्षिण-पश्चिम) के अनुसार जनवरी 2014 से फरवरी 2017 तक प्राप्त आवेदनों के विषय में सूचना एकत्रित की जा रही है। दिल्ली छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मार्च 2017 से अप्रैल 2018 तक कुल प्राप्त, स्वीकृत, रद्द एवं लंबित आवेदनों का ब्यौरा निम्न प्रकार है— <table border="1"> <thead> <tr> <th>योजना</th> <th>प्राप्त</th> <th>स्वीकृत</th> <th>लंबित</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>वृद्धावस्था पेंशन</td> <td>568</td> <td>305</td> <td>178</td> </tr> <tr> <td>विकलांग पेंशन</td> <td>35</td> <td>06</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>	योजना	प्राप्त	स्वीकृत	लंबित	वृद्धावस्था पेंशन	568	305	178	विकलांग पेंशन	35	06	25
योजना	प्राप्त	स्वीकृत	लंबित											
वृद्धावस्था पेंशन	568	305	178											
विकलांग पेंशन	35	06	25											
(ख)	इन आवेदनों में से कितने आवेदनों को स्वीकार किया गया; और													
(ग)	उक्त आवेदनों में से कितने आवेदन विभाग द्वारा अभी तक स्वीकार नहीं किये गये हैं;													
(घ)	इन आवेदन पत्रों पर कब तक स्वीकृति दी जाएगी;	लंबित आवेदनों में त्रुटि का निवारण होने पर आवेदनों का निपटारा कर दिया जायेगा।												
(ङ)	स्वीकृत मामलों में से कितने पेंशन खाताधारकों को पेंशन प्राप्त हो चुकी है;	वर्ष 2014 से अब तक स्वीकृत मामलों में निम्नलिखित पेंशन खाताधारकों को पेंशन प्राप्त हो चुकी है— वृद्धावस्था पेंशन — 370 विकलांग पेंशन — 174												
(च)	इनमें से कितने मामलों में पेंशन खाताधारकों के खाते में नहीं पहुँची है; और	जिन मामलों में पेंशन खाताधारकों के खाते में नहीं पहुँची है उनका विवरण निम्न प्रकार है— वृद्धावस्था पेंशन — 24 विकलांग पेंशन — 0												
(छ)	शेष मामलों में पेंशन खाता धारकों के खाते में पेंशन पहुँचाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?	विभाग द्वारा सभी योग्य पाए गए स्वीकृत ऑन लाइन आवेदकों की पेंशन तत्परता से भेजी जा रही है। इसके अतिरिक्त जिन आवेदनों में किसी प्रकार की त्रुटि पाई गई उसके त्वरित समाधान हेतु संबंधित जिला कार्यालयों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घर-घर भेजकर आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करवाए गये एवं यथासंभव त्रुटियों का निवारण करके बकाया राशि सहित पेंशन प्रेषित की जा रही है।												